

**GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF EXCISE
L-BLOCK, VIKAS BHAWAN, I.P.ESTATE, NEW DELHI**

NO:F.10(210)/Ex/IMFL/2011-12/PF-I/ 4445-62

Dated: 24-01-2023

ORDER

In pursuance of the provisions of Rule 52 of Delhi Excise Rules, 2010, it is hereby ordered that the following dates shall be observed as "Dry Day" in the National Capital Territory of Delhi by all L-1, L1F, L-2, L-3, L-4, L-5, L-6, L-6FG, L-6FE, L-8, L-9, L-10, L-11, L-14, L-18, L-23, L-23F, L-25, L-26, L-31, L-32, L-33, L-34 and L-35 licensees of the Excise department and opium vends located in Delhi:

Sl.No	Occasion	Date	Day
1	Republic Day	26.01.2023	Thursday
2	Guru Ravidas's Birthday	05.02.2023	Sunday
3	Swami Dayananda Saraswati Jayanti	15.02.2023	Wednesday
4	Maha Shivratri	18.02.2023	Saturday
5	Holi	08.03.2023	Wednesday
6	Ram Navami	30.03.2023	Thursday

In addition to above, all L-16, L-17, L-19, L-20, L-21, L-22, L-28, L-29, P-10 and P-13 licensees shall observe dry day on 26.01.2023 (Republic Day).

The licensees shall not be entitled to any compensation on account of any changes effected in the above list.

The restriction of sale on liquor on dry days mentioned above shall not apply to the service of liquor to residents in case of hotels having L-15 license.

All the licensees shall exhibit this order at some conspicuous place of their licensed premises.

The business premises of a licensee shall be kept closed on dry day.


(KRISHNA MOHAN UPPU)
COMMISSIONER (EXCISE)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
कार्यालय आबकारी आयुक्त
एल- ब्लाक, विकास भवन, आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

सं.फा. 10 (210)/आब/आई.एम.एफ.एल /2011-12/पार्ट फाइल-1/4445/2 दिनांक: 24-01-2023

आदेश

दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 के नियम 52 के प्रावधानों के अनुसरण में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में कुछ अवसरों के उपरांत "शुष्क दिवस" घोषित किया जाता है जो कि आबकारी विभाग के सभी लाइसेंसधारियों एल-१, एल-१एफ, एल-२, एल-३, एल-४, एल-५, एल-६, एल-६एफजी, एल-६ एफई, एल-८, एल-९, एल-१०, एल-११, एल-१४, एल-१८, एल-२३, एल-२३एफ, एल-२५, एल-२६, एल-३१, एल-३२, एल-३३, एल-३४ एवं एल-३५ और अफीम की दुकान के लाइसेंस धारकों पर लागू होगा।

क्रम संख्या	अवसर	तारीख	दिन
1	गणतन्त्र दिवस	26.01.2023	गुरुवार
2	गुरु रविदास जयंती	05.02.2023	रविवार
3	स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती	15.02.2023	बुधवार
4	महा शिवरात्रि	18.02.2023	शनिवार
5	होली	08.03.2023	बुधवार
6	राम नवमी	30.03.2023	गुरुवार

उपरोक्त के अतिरिक्त, सभी एल-16, एल-17, एल-19, एल-20, एल-21, एल-22, एल-28, एल-29, पी-10 एवं पी-13 लाइसेंसधारियों को 26.01.2023 (गुरुवार) गणतन्त्र दिवस के उपरांत "शुष्क दिवस" के रूप में घोषित किया जाता है।

लाइसेंसधारी उक्त सूची के अंतर्गत किये जाने वाले परिवर्तन के कारण हुई क्षतिपूर्ति का पात्र नहीं होगा।

उक्त लिखित "मध्य-निषेध दिन" में शराब की बिक्री पर लागू प्रतिबन्ध, लाइसेंसधारियों एल-15 की स्थिति में वहां ठहरे मेहमानों को शराब परोसने पर लागू नहीं होगा।

सभी लाइसेंसधारी इस सूची को अपने लाइसेंस परिसर में उचित स्थान पर दर्शायेंगे।

"शुष्क दिवस" पर वाणिज्य परिसर बंद रहेंगे।

कृष्ण मोहन
24/1
(कृष्ण मोहन उप्पू)
आबकारी आयुक्त